

## छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 1141 / डी0 एड0 / 2015

रायपुर, दिनांक 29.05.2015

प्रति,

प्राचार्य,

करिश्मा एज्युकेशन सोसायटी, रायपुर

जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विन्दु क्रमांक निम्नानुसार है :-

संस्था : करिश्मा एज्युकेशन सोसायटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सत्र 2016 - 2017 से डी0 एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर से **NOC** चाही गई है । संस्था द्वारा डी0 एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. संस्था को **NCTE** का निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करना होगा तथा पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
2. संस्था को अनुमति जारी करने के **NCTE, Bhopal (WRC)** द्वारा संस्था का निरीक्षण कराया जाकर यह संतुष्टि किया जाना उचित होगा कि वह **NCTE, Norms and Regulation 2014** द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है ।
3. संस्था **SCERT** शकर नगर रायपुर का नियम/शर्तों का पालन करना होगा ।
4. **NCTE** द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों की व्यवस्था करना आवश्यक है ।
5. संस्था को शासन से भी **NOC** प्राप्त करना होगा ।

संस्था को **NCTE** के विभागीय मान्यता जारी करने के बाद मान्यता नियमानुसार अलग से निरीक्षण करायेगा एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल समिति के निर्णय के अनुसार ही मान्यता सम्बद्धता की कार्यवाही की जावेगी । मान्यता का निर्धारित शुल्क सह: आवेदन पत्र जमा करना होगा ।

मण्डल कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार संस्था के द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर **NCTE, Bhopal (WRC)** द्वारा अनुमति दी जाती है तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर, छत्तीसगढ़ को सम्बद्धता (**Affiliation**) देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

  
उपसचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
रायपुर